(50)

निगरानी 413-III-15

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी पृ0 फ0-

Rs 20/-

36
2.2.15

बीरेन्द्र कुमार पाण्डे तनय श्री तिलकधारी प्रसाद पाण्डे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम इटमा तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 --- निगरानी कर्ता

बनाम

जैनेन्द्र कुमार पाण्डे तनय श्री तिलकधारी प्रसाद पाण्डे उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम इटमा तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 -- गैर निगरानी कर्ता

श्री शिवशंकर पाठक एड के द्वारा आज दिनांक. 02.02.15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल जवा तह0 जवा जिला रीवा म0 प्र0 आदेश दि0 30-8-14, जिसके द्वारा भूमि ख0 क्र0- 697, 698, एवं 700 का नक्शा तरमीम गलत ढंग से मौके की स्थिति के विपरीत किया गया है ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0 1959

क्रमांक 4548
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त
23.2.15 ऑफ़ नम्बर,
लिपिक ...कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :---

{1} यह कि राजस्व निरीक्षक सर्किल जवा द्वारा पारित नक्शा तरमीम आदेश दि0- 30-8-014, विधि , प्रक्रिया एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

{2} यह कि आ0 क्र0- 697, रकबा 0-36 ए0, ,698 रकबा 2-13 ए0 700 रकबा 3-11 ए0, स्थित ग्राम कै इटमा तह0 ~~हुजूर~~ जवा जिला रीवा म0प्र0 निगरानी कर्ता एवं गैर निगरानी कर्ता की पैत्रिक भूमि है , जिसमें दोनो लोगो का बराबर - बराबर हक व हिस्सा एवं कब्जा दखल है ।

{3} यह कि आवेदित भूमियो का आंशिक रकबा शासन द्वारा बाणसागर नहर हेतु अधिग्रहित किया गया है , जिसके मुआवजे की राशि को गैर निगरानी कर्ता अकेले प्राप्त करने व निगरानी कर्ता के हिस्से की राशि स्वयं हड़प लेने

बीरेन्द्र कुमार पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 413–तीन/2015 जिला रीवा

वीरेन्द्र कुमार विरूद्ध जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–7–2015	आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार गया। 2/ आवेदक द्वारा तर्क दिया कि आराजी कमांक 697, 698 एवं 700 स्थित ग्राम इटमा तहसील जवा जिला रीवा निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है, जिसमें दोनों लोगों का बराबर बराबर हक व हिस्सा एवं कब्जा है। आवेदित भूमियों का आंशिक रकवा शासन द्वारा बाणसागर नहर हेतु अधिग्रहित किया गया है जिसके मुआवजे की राशि को गैरनिगरानीकर्ता अकेले प्राप्त करने व निगरानीकर्ता के हिस्से की राशि स्वयं हडपने के आशय से राजस्व निरीक्षक से मिलकर आवेदित भूमि का गलत नक्शा तरमीम करा लिया तथा निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी। मौके पर स्थल की जांच नहीं की गई। अतः राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 30–8–14 को जो नक्शा तरमीम का आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है। 3/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी समयावधि के बाहर है क्योंकि नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक 30–8–14 के विरूद्ध आवेदक ने निगरानी दिनांक 02–2–15 को प्रस्तुत की। विलम्ब का कोई आधार धारा 5 के आवेदन में प्रस्तुत नहीं किया। विवादित भूमियों के संबंध में मौके से मूल नक्शा में तरमीम दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया गया है तथा दोनों पक्षों की सहमति से नक्शा तरमीम किया गया है। नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्ध आवेदक को अपील करना चाहिए थी। अतः निगरानी	

निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक ने यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 30–8–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02–2–15 को पेश की है। नक्शा तरमीम का आदेश अंतिम स्वरूप का होने से अपील योग्य है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य